भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *174
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालय की कार्यवाही के अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

***174. डॉ. टी.सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन** :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से देश भर में उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों और निर्णयों का अनुवाद करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा शुरू की गई अनुवाद परियोजनाओं/कार्यों के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

"न्यायालय की कार्यवाही के अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *174 जिसका उत्तर तारीख 06.12.2024, को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग को अंगीकार किया है । फरवरी, 2023 से विशिष्टतया संवैधानिक न्यायपीठ मामलों में मौखिक दलीलों का प्रतिलेखन करने के लिए, भी एआई का उपयोग किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों को जन भाषा में अनुवाद को मानीटर करने के लिए गठन किया गया है । अनुवाद की प्रक्रिया शीघ्र करने के लिए, समिति की माननीय न्यायाधीशों के साथ मिलकर बनने वाली उच्च न्यायालयों की उप-समितियों के साथ नियमित बैठकें होती हैं ।

उच्च न्यायालयों की एआई अनुवाद समितियां, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जन भाषा में निर्णयों के अनुवाद से संबंधित संपूर्ण कार्य की मानीटरी करती है । आज की तारीख तक, 17 उच्च न्यायालयों ने वेबसाइट पर पहले ही ई-उच्च न्यायालय रिपोर्टे (ई-एचसीआर)/ई-भारतीय विधि रिपोर्टे(ई-आईएलआर) आरंभ कर दी है। ई-एचसीआर/ई-आईएलआर डिजिटल विधिक मंच है जो जन भाषा में निर्णयों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं।).

उच्च न्यायालयों की एआई समितियों को संबंधित राज्य सरकारों को सभी केन्द्रीय और राज्य विधान, नियमों, विनियमों आदि को प्रादेशिक भाषा में अनुवाद करने और उसे राज्य की वेबसाइट पर रखने का अनुरोध करने के लिए सूचित किया गया है ताकि साधारणजन को उन्हें प्रादेशिक भाषा में पठन करने में सहायता की जा सके । सभी राज्य सरकारों से निर्णयों के अनुवाद के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों को पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है, क्योकि भारत के संविधान के अधीन यथा परिकल्पित 'न्याय तक पहुंच' का यह एक भाग है ।

आज की तारीख तक उच्चतम न्यायालय के 36,324 निर्णयों का हिन्दी भाषा में और उच्चतम न्यायालय के 42,765 निर्णयों का 17 प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया है और यह ई-एससीआर पोर्टल (https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php पर उपलब्ध हैं ।

अनुवाद परियोजना के लिए उच्चतम न्यायालय को कोई पृथक निधि मंजूर नहीं की गई है । तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई अनुवादित उच्चतम न्यायालय निर्णयों की विधीक्षा के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों/अनुवादकों/अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के मूल अंग्रेजी भाषा में निर्णय के अनुसार प्रति पृष्ठ 100/- रुपये का पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं ।

प्रक्रिया ज्ञापन(एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है जबकि उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम उत्तरवर्ती न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई हो।

****